न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 114/2019

कृपा शंकर शाह पुत्र दामोदर प्रसाद शाह जाति महाजन निवासी रामलीला मैदान गुढागौड़जी जिला झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक **24.07.2019**

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 25.06.**2019** को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर **114/2019** पर दिनांक **25.06.2019** को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपरुवाटी से इस कार्यालय के पत्रांक **पाठक/2019/905–06** दिनांक **01.07.2019** द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी ने पत्रांक **पाठक/सू0अ0/19/381** दिनांक **11.07.2019** द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी को वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक /विविध/सू.अ./19/80 दिनांक 20.05.2014 के द्वारा जरिये रजिस्ट्रर्ड पत्र उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। अपीलार्थी ने सूचना नहीं मिलना जाहिर किया तथा वांछित सूचना दिलवायी जाने का निवेदन किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा उनके कार्यालय से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी को वांछित सूचना उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक /विविध/सू.अ./19/80 दिनांक 20.05.2014 के द्वारा जरिये रजिस्ट्रर्ड पत्र उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी को सूचना की बाबत सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1997 की सूचना चाही है जो 20 वर्ष से अधिक पुरानी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक **24.07.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू